रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-04032022-233916
CG-MH-E-04032022-233916

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 119] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 3, 2022/ फाल्गुन 12, 1943
No. 119] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 3, 2022/PHALGUNA 12, 1943

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक

अधिसूचना

मुम्बई, 2 मार्च, 2022

फा. सं. 02/ NaBFID/2021-22.—बोर्ड, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 (2021 का 17) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से और रिजर्व बैंक के परामर्श से, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ --(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक साधारण विनियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—(1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 (2021 का 17) अभिप्रेत है ;

(ख) "धारा" से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों का, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं, किंतु परिभाषित नहीं हैं, वहीं अर्थ होगा, जो उनका अधिनियम और नियमों में हैं।

3. बोर्ड और समितियों की बैठकें आयोजित करने की रीति—(1) अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में प्रबंध निदेशक और दोनों की अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम उप प्रबंध निदेशक, बोर्ड की बैठकों की तारीख, समय और स्थान नियत करेगा और उसके लिए कार्यवृत्त मदों का अनुमोदन करेगा।

(2) ऐसा निदेशक, जिसे बोर्ड समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करे, उस समिति की बैठकों की तारीख, समय और स्थान नियत करेगा, उसके लिए कार्यवृत्त मदों का अनुमोदन करेगा, ऐसी बैठकों की अध्यक्षता करेगा :

परंतु अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा उनमें से निर्वाचित कोई निदेशक बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

(3) बोर्ड और समितियों की बैठकों की सूचना, कंपनी सचिव द्वारा या यदि कोई कंपनी सचिव नहीं है, तो संस्था के किसी निदेशक या ज्येष्ठ प्रबंधन का हिस्सा होने वाले अन्य कर्मचारी द्वारा, जैसा कि इस संबंध में बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, जारी की जाएगी ।

(4) संस्था, बोर्ड और समितियों के संबंध में ऐसे अनुसचिवीय मानकों का पालन करेगी, जो अधिनियम, नियमों और उनके अधीन बनाए गए विनियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 118 की उपधारा (10) के अधीन कंपनी की बोर्ड बैठकों के संबंध में लागू होते हैं ।

4. लेखापरीक्षा समिति—(1) लेखापरीक्षा समिति, निम्नलिखित प्रकार्यों का संपादन करेगी, अर्थात् :--

(क) अंशधारकों की साधारण बैठक में संस्था के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए बोर्ड को सिफारिशें करना;

(ख) संस्था के आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, उनके पारिश्रमिक और उन्हें हटाए जाने के लिए बोर्ड को सिफारिशें करना ;

(ग) खंड (क) में निर्दिष्ट लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता और प्रदर्शन तथा लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रभावकारिता का पुनर्विलोकन और निगरानी करना ;

(घ) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन करना ;

(ङ) अंतर-निगमित ऋण और विनिधानों को प्रतिभूत करना ;

(च) संस्था के उपक्रमों या आस्तियों का मूल्यांकन कराना, जहां कहीं आवश्यक समझा जाए ;

(छ) यह निर्धारित करना कि क्या लागू विधियों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली की बनाई गई है और उसका प्रभावी रूप से प्रचालन किया जा रहा है ;

(ज) आंतरिक लेखापरीक्षक से परामर्श करके आंतरिक लेखापरीक्षा के संचालन के लिए दायरा, प्रकार्यात्मकता, आवधिकता और प्रविधि को विनिर्धारित करना ;

(झ) आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा ऐसे मामलों में, जहां कपट या अनियमितता अथवा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण प्रकृति की असफलता होंने का संदेह है, आंतरिक अनुसंधान के निष्कर्षों का पुनर्विलोकन करना और उस मामले की बोर्ड को रिपोर्ट करना ;

(ञ) त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक और वार्षिक वित्तीय विवरण तथा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले उनकी परीक्षा करना :

बशर्ते, लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में जब लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार किया जाता है, तब लेखापरीक्षकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को सुनवाई का अधिकार होगा, लेकिन उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा ;

(ट) संस्था के संव्यवहारों पर बोर्ड के अनुमोदन की संबंधित पक्षकारों को सिफारिश करना :

बशर्ते, लेखापरीक्षा समिति, उपविनियम (2) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, संस्था द्वारा किए जाने के लिए प्रस्तावित संबंधित पक्षकार संव्यवहारों के लिए बहुप्रयोजनीय अनुमोदन प्रदान कर सकेगी ;

(ठ) लेखापरीक्षकों से आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, लेखापरीक्षा के दायरे, जिसके अंतर्गत लेखापरीक्षकों के प्रेक्षण भी आते हैं, और बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले वित्तीय विवरणों का पुनर्विलोकन और उस पर टिप्पणी मांगना और आंतरिक तथा कानूनी लेखापरीक्षकों और संस्था के प्रबंधन के साथ संबद्ध मुद्दों पर चर्चा करना ;

(ड) मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति के लिए बोर्ड को सिफारिशें करना ;

(ढ) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकार्य के प्रमुख की नियुक्ति, उसे हटाए जाने और उसके पारिश्रमिक के लिए बोर्ड को सिफारिशें करना ;

(ण) इस विनियम में विनिर्दिष्ट प्रकार्यों या उन प्रकार्यों, जो उसे बोर्ड द्वारा संदर्भित किए जाएं, से संबंधित किसी मामले में जांच करना, जिसके लिए लेखापरीक्षा समिति, जहां कहीं वह आवश्यक समझे, बाहरी स्रोतों से व्यावसायिक सलाह प्राप्त कर सकती है, और उसे संस्था के अभिलेखों में अंतर्विष्ट सूचनाओं तक पूर्ण पहुंच होगी ;

(त) लेखापरीक्षकों के साथ लेखापरीक्षा की प्रकृति और क्षेत्र पर तथा लेखापरीक्षा के पश्चात् चिह्नित चिंता के किसी क्षेत्र पर चर्चा करना ;

(थ) ऐसी अन्य शक्तियों और प्रकार्यों का प्रयोग करना, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

स्पष्टीकरण—इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए, "मुख्य वित्तीय अधिकारी" से संस्था का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो इस प्रकार नियुक्त किया गया है और जो संस्था के वित्तीय प्रकार्यों का प्रमुख है ।

(2) बोर्ड, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, संस्था द्वारा किए जाने के लिए प्रस्तावित संबंधित पक्षकार संव्यवहारों के लिए बहुप्रयोजनीय अनुमोदन प्रदान करने के लिए लेखापरीक्षा समिति को सशक्त कर सकेगा, अर्थात् :--

(क) लेखापरीक्षा समिति, बहुप्रयोजनीय अनुमोदन जिसके अंतर्गत वे संव्यवहार भी हैं, जो आवृत्तिमूलक प्रकृति के हैं, प्रदान करने के लिए मानदंड बनाएगी ;

(ख) लेखापरीक्षा समिति स्वयं कों इस बारे में आश्वस्त करेगी कि ऐसा अनुमोदन संस्था के हित में है ;

(ग) बहुप्रयोजनीय अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों को विनिर्दिष्ट करेंगे, अर्थात् :--

(i) संबंधित पक्षकार के नाम के संबंध में ब्यौरे, किए जाने वाले संव्यवहारों की प्रकृति, अवधि और अधिकतम रकम ;

(ii) कीमत के वितरण के लिए सूत्र के साथ निर्देशात्मक आधार कीमत या चालू संविदात्मक कीमत के संबंध में ब्यौरे, यदि कोई हों ;

(iii) ऐसी अन्य शर्तें, जो लेखापरीक्षा समिति आवश्यक समझे :

बशर्ते, जहां संबंधित पक्षकार संव्यवहार के लिए आवश्यकता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है और उक्त ब्यौरे उपलब्ध नहीं है, वहां लेखापरीक्षा समिति, ऐसे संव्यवहारों के लिए, एक करोड़ रुपए प्रति संव्यवहार से अनधिक उनके मूल्य के अध्यधीन रहते हुए, बहुप्रयोजनीय अनुमोदन प्रदान कर सकेगी ;

(घ) लेखापरीक्षा समिति, दिए गए प्रत्येक बहुप्रयोजनीय अनुमोदन के अनुसरण में संस्था द्वारा किए गए संबद्ध पक्षकार संव्यवहारों के ब्यौरों का त्रैमासिक आधार पर पुनर्विलोकन करेगी;

(ङ) बहुप्रयोजनीय अनुमोदन एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए विधिमान्य होगा और एक वर्ष की समाप्ती के पश्चात् नया अनुमोदन अपेक्षित होगा ।

5. नामांकन और पारिश्रमिक समिति -- नामांकन और पारिश्रमिक समिति निम्नलिखित प्रकार्यों का संपादन करेगी, जैसे :--

(क) धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन नियुक्त किए जाने वाले निदेशक की अर्हता, सकारात्मक गुण और स्वतंत्रता के लिए मानदंडों कों बनाना और बोर्ड को ऐसे मानदंडों के बारे में सिफारिश करना ;

(ख) ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना, जो खंड (क) में निर्दिष्ट मानदंड के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अर्ह हैं ;

(ग) ऐसे व्यक्ति की निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए बोर्ड को सिफारिशें करना ;

(घ) बोर्ड को ऐसे निदेशक, जो केंद्रीय सरकार के अधिकारी या पूर्णकालिक निदेशक से भिन्न है, के लिए बैठक का शुल्क और नियत पारिश्रमिक, यदि कोई हो, के रूप में संदेय राशि की सिफारिश करना ;

IndiaCode

(ङ) विनियम 9 में यथाविनिर्दिष्ट प्रबंध निदेशक, उप प्रबंध निदेशक, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्तों की बोर्ड को सिफारिश करना ;

(च) प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवाओं के निबंधन और शर्तों को निर्धारित करना ;

(छ) विनियम 11 में यथाविनिर्दिष्ट शास्तियों का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी के रूप में कार्य करना ;

(ज) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और प्रकार्यों का संपादन करना, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

6. जोखिम प्रबंधन समिति -- जोखिम प्रबंधन समिति निम्नलिखित प्रकार्यों का संपादन करेगी, अर्थात् :--

(क) संस्था की जोखिम प्रबंधन नीति को तैयार करना, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होगा, अर्थात् :--

(i) संस्था द्वारा सामना किए जा रहे आंतरिक और बाहरी जोखिमों की पहचान किए जाने के लिए रूपरेखा, जिसके अंतर्गत वित्तीय जोखिम, परिचालन जोखिम, क्षेत्र जोखिम, संधारणीयता जोखिम, सूचना जोखिम और साइबर सुरक्षा जोखिम भी हैं ;

(ii) जोखिम न्यूनीकरण के लिए उपाय, जिसके अंतर्गत परिलक्षित जोखिमों के आंतरिक नियंत्रण के लिए प्रणालियां और प्रक्रियाएँ भी शामिल हैं ;

(iii) कारोबार निरंतरता योजना ;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि संस्था के कारोबार के साथ सहयुक्त जोखिम की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए समुचित प्रविधि, प्रक्रिया और प्रणाली विद्यमान है;

(ग) जोखिम प्रबंधन नीति की निगरानी और निरीक्षण करना जिसके अंतर्गत जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की पर्याप्तता का मूल्यांकन करना भी है;

(घ) संस्था की जोखिम प्रबंधन नीति का, बदलती हुई औद्योगिक गतिकी और विकसित होती हुई जटिलताओं पर विचार करते समय, आवधिक रूप से पुनर्विलोकन करना ;

(ङ) बोर्ड को उसकी चर्चाओं, सिफारिशों और की गई कार्रवाइयों की प्रकृति और अंतर्वस्तु के बारे में सूचित करना;

(च) बोर्ड को संस्था के जोखिम प्रकार्य के प्रमुख की नियुक्ति, उसे हटाए जाने और उसके पारिश्रमिक के बारे में सिफारिश करना;

(छ) अन्य समितियों के साथ उसके क्रियाकलापों का और जहां क्रियाकलापों में अतिव्यापन है वहां ऐसी रूपरेखा के अनुसरण में, जो इस प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा अधिकथित की जाए, समन्वय करना ;

(ज) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और प्रकार्यों का संपादन करना, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

7. कार्यकारी समिति और अन्य समितियां.—(1) कार्यकारी समिति, बोर्ड द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले ऐसे साधारण और विशेष निदेशों के अध्यधीन रहते हुए, बोर्ड की सक्षमता के भीतर आने वाले मामलों से संव्यवहार कर सकेगी।

(2) धारा 15 की उपधारा (4) के अधीन गठित समिति बोर्ड को ऐसे मामलों पर सलाह दे सकेगी जो उसे बोर्ड द्वारा या तो साधारणतया या विशेष रूप से संदर्भित किए जाएं और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगी जो बोर्ड द्वारा उसे सौंपे जाएं ।

8. संबंधित पक्षकार के साथ संव्यवहार की रकम.— धारा 19 की उपधारा (1) के पहले परंतुक के प्रयोजनों के लिए संस्था कोई संव्यवहार नहीं करेगी जहां किए जाने वाला संव्यवहार.--

(क) निम्नलिखित को अंतर्वलित करते हुए धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (ङ) में निर्दिष्ट मामलों से संबंधित संविदाओं या व्यवस्थाओं के रूप में हैं-

(i) संस्था के पण्यावर्त के 10 प्रतिशत या अधिक के राशि वाले किसी माल अथवा सामग्री का सीधा या अभिकर्ता के माध्यम से विक्रय, क्रय या पूर्ति;

IndiaCode

(ii) संस्था के शुद्ध मूल्य के 10 प्रतिशत या अधिक के राशि वाली किसी प्रकार की संपत्ति का सीधा या अभिकर्ता के माध्यम से विक्रय या अन्यथा निपटान या क्रय;

(iii) संस्था के शुद्ध मूल्य के 10 प्रतिशत या अधिक के राशि वाली किसी प्रकार की संपत्ति का पट्टा;

(iv) संस्था के शुद्ध मूल्य के 10 प्रतिशत या अधिक के राशि वाली किन्हीं सेवाओं का सीधा या अभिकर्ता के माध्यम से उपभोग या उनका प्रदाय;

(ख) संस्था, उसकी समनुषंगी या सहायक कंपनियों में दो लाख पचास हजार रुपए से अनधिक के मासिक पारिश्रमिक पर किसी लाभ के पद या स्थान पर नियुक्ति के लिए है;

(ग) संस्था के शुद्ध मूल्य के एक प्रतिशत से अनधिक की किन्हीं प्रतिभूतियों या उसके व्युत्पन्नों के अभिदान के हामीदारी हेतु पारिश्रमिक के लिए है ।

स्पष्टीकरण.— इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए,--

(क) खंड (क) के उपखंड (i) से उपखंड (iv) में निर्दिष्ट प्रतिशत किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्ण संव्यवहारों के साथ किए जाने वाले संव्यवहार के लिए गणना में लिया जाएगा;

(ख) पण्यावर्त और शुद्ध मूल्य की गणना पूर्व वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के आधार पर की जाएगी;

(ग) अंश धारकों की साधारण बैठकों की सूचना से संलग्न किए जाने वाले स्पष्टीकारक टिप्पण में निम्नलिखित ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे, अर्थात्,--

(i) संबंधित पक्षकार का नाम;

(ii) संबद्ध निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का नाम, यदि कोई हो;

(iii) उनके संबंध की प्रकृति;

(iv) संविदा या व्यवस्थाओं की प्रकृति, मुख्य निबंधनों, मौद्रिक मूल्य और ब्यौरे;

(v) कोई अन्य सूचना जो प्रस्तावित संकल्प पर निर्णय करने के लिए सदस्यों के लिए सुसंगत और महत्वपूर्ण है ।

9. वेतन और भत्ते.—(1) नामांकन और पारिश्रमिक समिति, बोर्ड को संस्था के प्रबंध निदेशक, उप प्रबंध निदेशकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के संबंध में वेतन और भत्तों की सिफारिश निम्नलिखित पर विचार करते हुए करेगी:-

(क) पारिश्रमिक का अपेक्षित स्तर और उसकी संघटना जो संस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए गुणवत्ता वाले व्यक्तियों को आकर्षित करने, उन्हें साथ बनाए रखने और प्रेरित करने के लिए युक्तियुक्त और पर्याप्त हो;

(ख) पारिश्रमिक का कार्य-निष्पादन के साथ स्पष्ट संबंध हो और वह समुचित कार्य-निष्पादन मानदंडों की अपेक्षा को पूरा करता हो;

(ग) पारिश्रमिक जो संस्था के कामकाज और उसके लक्ष्यों के लिए समुचित हो एवं अल्पकालिक और दीर्घकालिक कार्य-निष्पादन के लक्ष्यों को दर्शाते हुए नियत और प्रोत्साहन वेतन के मध्य संतुलन को समाविष्ट करता हो;

(घ) संबंधित व्यक्तियों की व्यावसायिक अर्हताएं और अनुभव;

(ङ) संबंद्ध व्यष्टि द्वारा किसी अन्य क्षमता में या किसी अन्य कंपनी से आहरित पारिश्रमिक या कमीशन;

(च) संस्था की वित्तीय स्थिति जिसके अंतर्गत पिछले तीन पूर्व वित्तीय वर्षों के दौरान उसका वित्तीय और परिचालन प्रदर्शन;

(2) उपनियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट वेतन और भत्तों की सिफारिश करते समय नामांकन और पारिश्रमिक समिति यह सुनिश्चित करेगी कि संस्था द्वारा किसी वित्तीय वर्ष के संबंध में उसके निदेशकों को संदेय कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की अनुसूची 5 के भाग 2 के खंड II की मद (अ) के अधीन प्रबंधकीय और अन्य निदेशकों के लिए लागू सीमाओं और उक्त भाग के खंड I के अधीन लागू सीमा के उच्चतर सकल से अधिक नहीं हों ।

IndiaCode

स्पष्टीकरण.-- इस विनियम के प्रयोजनों के लिए खंड I या खंड II में कंपनी के नाम से किए गया संदर्भ का अर्थ संस्था के रूप में लगाया जाएगा ।

(3) बोर्ड उपविनियम (1) के अधीन की गई सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् संस्था के प्रबंध निदेशक, उप प्रबंध निदेशकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते यह सुनिश्चित करते हुए निर्धारित करेगा कि किसी वित्तीय वर्ष में संस्था द्वारा उसके निदेशकों को संदेय कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक उपविनियम (2) में निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक न हो ।

10. प्रतिनियुक्ति.—(1) संस्था द्वारा किसी संस्था से जिसके अंतर्गत अवसंरचना वित्त या विकास संस्था भी है, पांच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर लिया जा सकेगा ।

(2) प्रतिनियुक्ति पर लिए गए किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी की सेवाओं के निबंधन और शर्तों में निम्नलिखित सम्मिलित होगा, अर्थात्:-

(क) प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान सेवाओं के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा निर्धारित किया जाए;

(ख) यदि किसी ऐसी संस्था से जिसमें केन्द्रीय सरकार पचास प्रतिशत से अन्यून समादत्त साधारण शेयर पूंजी धारित करती है, प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी और अन्य कर्मचारी लिए जाते हैं, तो प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान सेवा के निबंधन और शर्तें उनसे कम अनुकूल नहीं होगी जो ऐसी संस्था में उनकी सेवा के लिए हैं ।

11. दंड निर्धारित करने के लिए प्रविधि.— (1) नामांकन और पारिश्रमिक समिति धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन दंड निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत होगी ।

(2) नामांकन और पारिश्रमिक समिति, ऐसे निदेशक और कर्मचारी को जिसके विरुद्ध संस्था द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा यथास्थिति धारा 16 या धारा 19 के उपबंधों का अतिक्रमण करने के लिए लिखित में शिकायत की गई है, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात् आदेश द्वारा ऐसे निदेशक या कर्मचारी पर जिन्होंने ऐसे उपबंधों का अतिक्रमण किया है दंड अधिरोपित कर सकेगी ।

(3) शास्तियों का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए नामांकन और पारिश्रमिक समिति —

(क) निम्नलिखित की उपस्थिति की अपेक्षा होगी और उनकी परीक्षा कर सकेगी—

(i) निदेशक या अन्य कर्मचारी जिनके विरुद्ध अतिक्रमण के लिए शिकायत की गई है;

(ii) संस्था का कोई अन्य निदेशक, अधिकारी या कर्मचारी;

(iii) संस्था के नियंत्रणधीन कोई अन्य व्यक्ति;

(ख) संस्था द्वारा निर्धारित या उसके नियंत्रणाधीन किसी दस्तावेज या अन्य इलेक्ट्रानिक अभिलेख को प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा कर सकेगी ।

(ग) यदि वह सुसंगत समझे तो किसी अन्य व्यक्ति को साक्ष्य देने के लिए अनुमत कर सकेगी;

(घ) यदि वह सुसंगत समझे तो किसी अन्य दस्तावेज या अभिलेख का प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित कर सकेगी ।

(4) उपविनियम (2) के अधीन नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई निदेशक या कर्मचारी ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर बोर्ड को अपील कर सकेगा और बोर्ड उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात् ऐसे आदेश को जिसके विरुद्ध अपील की गई है या तो पुष्ट करते हुए, उसका उपांतरण करते हुए या उसे निरस्त करते हुए ऐसा ओदश पारित करेगा जो वह उपयुक्त समझे या आदेश द्वारा मामले को निपटान के लिए नामांकन और पारिश्रमिक समिति को प्रतिप्रेषित कर सकेगा ।

(5) जहां ऐसा निदेशक जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है, जैसा भी मामला हो, नामांकन और पारिश्रमिक समिति या बोर्ड का सदस्य है तो वह ऐसी किसी बैठक में भाग नहीं लेगा जिसमें शिकायत पर विचार विमर्श किया जा रहा है :

बशर्ते, ऐसे निदेशक द्वारा बैठक में भाग नहीं लेने के कारण अपेक्षित गणपूर्ति या अपेक्षित न्यूनतम सदस्यता का गठन करने वाले स्वतंत्र निदेशकों का या नामांकन और पारिश्रमिक समिति का बहुमत पूरा नहीं होता है तो बोर्ड उसके स्थान पर किसी अन्य निदेशक को नियुक्त कर सकेगा ।

पी. किशोर कुमार, विशेष कार्याधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./672/2021-22]

NATIONAL BANK FOR FINANCING INFRASTRUCTURE AND DEVELOPMENT

NOTIFICATION

Mumbai, the 2nd March, 2022

F. No. 02/ NaBFID/2021-22. —In exercise of the powers conferred by section 32 of the National Bank for Financing Infrastructure and Development Act, 2021 (17 of 2021), the Board with the previous approval of the Central Government and in consultation with the Reserve Bank, hereby makes the following regulations, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the National Bank for Financing Infrastructure and Development General Regulations, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these regulations, unless the content otherwise requires,—

(a) "Act" means the National Bank for Financing Infrastructure and Development Act, 2021 (17 of 2021);

(b) "section" means a section of the Act.

(2) Words and expressions used herein and not defined in these regulations, but defined in the Act or the rules framed thereunder shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or the rules.

3. Manner of holding meetings of Board and committees.—(1) The Chairperson and in his absence, the Managing Director and in the absence of both, the senior-most Deputy Managing Director, shall fix the date, time and place of meetings of the Board and approve the items of agenda therefor.

(2) Such director on a committee as the Board may appoint as the chairperson of the committee shall chair the meetings, fix the date, time and place of such meetings, approve the items of agenda therefor:

Provided that in the absence of the chairperson, any director elected by the members present at the meeting from amongst themselves shall chair the meeting.

(3) Notice for meetings of the Board and committees shall be issued by the Company Secretary or, if there is no Company Secretary, by any director or other employee constituting the senior management of the Institution as may be specified by the Board in this behalf.

(4) The Institution shall, in respect of the Board and committees, observe such secretarial standards as are applicable in respect of Board meetings of a company under sub-section (10) of section 118 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), save as otherwise provided for in the Act, rules and regulations made thereunder.

4. Audit Committee.—(1) The Audit Committee shall perform the following functions, namely:—

(a) give recommendations to the Board for appointment of the auditors of the Institution in general meeting of the shareholders;

(b) give recommendations to the Board for appointment, remuneration and removal of internal auditors of the Institution;

(c) review and monitor the independence and performance of the auditors referred to in clause (a) and the effectiveness of the audit process;

(d) evaluate internal financial controls and risk management systems;

(e) scrutinise inter-corporate loans and investments;

(f) cause valuation of undertakings or assets of the Institution to be done, wherever it is necessary;

(g) assess whether proper systems have been devised to ensure compliance with the provisions of applicable laws and are operating effectively;

(h) formulate in consultation with the internal auditor, the scope, functioning, periodicity and methodology for conducting internal audit;

(i) review the findings of any internal investigations by the internal auditors into matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control systems of a material nature and report the matter to the Board;

(j) examine the quarterly, half-yearly and annual financial statements and the auditor's report before submission to the Board:

Provided that the auditors and the key managerial personnel shall have a right to be heard in the meeting of the Audit Committee when it considers the auditor's report, but shall not have the right to vote;

(k) recommend to the Board approval of the transactions of the Institution with related parties:

Provided that the Audit Committee may grant omnibus approval for related party transactions proposed to be entered into by the Institution subject to the conditions specified in sub-regulation (2);

(l) call for comments of the auditors about internal control systems, the scope of audit, including observations of the auditors and review of financial statement before their submission to the Board, and discuss any related issues with the internal and statutory auditors and the management of the Institution;

(m) make recommendations to the Board for appointment of the Chief Financial Officer;

(n) make recommendations to the Board for appointment, removal and remuneration of the head of the internal audit function;

(o) investigate any matter in relation to the functions specified in this regulation or that may be referred to it by the Board, for which the Audit Committee may obtain professional advice from external sources wherever it deems it necessary and shall have full access to information contained in the records of the Institution;

(p) discuss with auditors the nature and scope of audit and any area of concern identified after the audit;

(q) exercise such other powers and functions as the Board may specify.

Explanation.—For the purposes of these regulations, "Chief Financial Officer" shall mean an officer of the Institution who is appointed as such and is the head of its finance function.

(2) The Board may, by order, empower the Audit Committee to grant omnibus approval for related party transactions proposed to be entered into by the Institution, subject to the following conditions, namely:—

(a) the Audit Committee shall formulate the criteria for granting omnibus approval, including those transactions which are repetitive in nature;

(b) the Audit Committee shall satisfy itself that such approval is in the interest of the Institution;

(c) the omnibus approval shall specify the following conditions, namely:—

(i) the details regarding the name of the related party, the nature, period and maximum amount of the transactions that shall be entered into;

(ii) the details regarding indicative base price or current contracted price, along with the formula, if any, for variation in the price;

(iii) such other conditions as the Audit Committee may deem fit:

Provided that where the need for related party transaction cannot be foreseen and the said details are not available, the Audit Committee may grant omnibus approval for such transactions subject to their value not exceeding one crore rupees per transaction;

(d) the Audit Committee shall review on a quarterly basis, the details of related party transactions entered into by the Institution pursuant to every omnibus approval given;

(e) the omnibus approval shall be valid for a period not exceeding one year and shall require fresh approval after the expiry of one year.

5. Nomination and Remuneration Committee.—The Nomination and Remuneration Committee shall perform the following functions, namely:—

(a) formulate the criteria for determining qualifications, positive attributes and independence of a director to be appointed under clause (f) of sub-section (1) of section 6, and recommend such criteria to the Board;

(b) identify individuals who are qualified to be appointed as a director in accordance with the criteria referred to in clause (a);

(c) give recommendations to the Board for appointment of such an individual as director;

(d) recommend to the Board, the sum payable as sitting fee and fixed remuneration, if any, for a director who is other than an officer of the Central Government or a whole-time director;

(e) recommend to the Board, the salary and allowances payable to the Managing Director, Deputy Managing Directors, officers and other employees, as specified in regulation 9;

(f) determine the terms and conditions of service of officers and other employees on deputation;

(g) serve as the authority to determine penalties as specified in regulation 11;

(h) exercise such other powers and functions as the Board may specify.

6. Risk Management Committee.—The Risk Management Committee shall perform the following functions, namely:—

(a) formulate the risk management policy of the Institution which shall include the following, namely:—

(i) the framework for identification of internal and external risks faced by the Institution, including financial risk, operational risk, sectoral risk, sustainability risk, information risk and cybersecurity risk;

(ii) measures for risk mitigation, including systems and processes for internal control of identified risks;

(iii) business continuity plan;

(b) ensure that appropriate methodology, processes and systems are in place to monitor and evaluate risks associated with the business of the Institution;

(c) monitor and oversee implementation of the risk management policy including evaluating the adequacy of risk management systems;

(d) review the risk management policy of the Institution periodically, while considering changing industry dynamics and evolving complexity;

(e) keep the Board informed about the nature and content of its discussions, recommendations and actions to be taken;

(f) recommend to the Board the appointment, removal and remuneration of the head of the risk function of the Institution;

(g) coordinate its activities with other committees and where there is overlap in activities, in accordance with such framework as the Board may lay down for this purpose;

(h) exercise such other powers and functions as the Board may specify.

7. Executive Committee and other committees.—(1) Subject to such general or special directions as the Board may give from time to time, the Executive Committee may deal with any matter within the competence of the Board.

(2) A committee constituted under sub-section (4) of section 15 may render advice to the Board on such matters as the Board may refer to it, either generally or specially and shall perform such duties as the Board may entrust to it.

8. Amount for transactions with related party.—For the purposes of the first proviso to sub-section (1) of section 19, the Institution shall not enter into a transaction where the transaction to be entered into,—

(a) as contracts or arrangements relating to matters referred to in clauses (a) to (e) of sub-section (1) of section 19 involving—

(i) sale, purchase or supply of any goods or material, directly or through appointment of agent, amounting to ten per cent. or more of the turnover of the Institution;

(ii) selling or otherwise disposing of or buying property of any kind, directly or through appointment of agent, amounting to ten per cent. or more of net worth of the Institution;

(iii) leasing of property any kind amounting to ten per cent. or more of the turnover of the Institution;

(iv) availing or rendering of any services, directly or through appointment of agent, amounting to ten per cent. or more of the turnover of the Institution;

(b) is for appointment to any office or place of profit in the Institution, its subsidiaries or associate companies at a monthly remuneration exceeding two and a half lakh rupees;

(c) is for remuneration for underwriting the subscription of any securities, or derivatives thereof, of the Institution exceeding one per cent. of the net worth.

Explanation.—For the purposes of this regulation,—

(a) the percentage referred to in sub-clauses (i) to (iv) of clause (a) shall be reckoned for the transaction to be entered into taken together with previous transactions during a financial year;

(b) turnover and net worth shall be computed on the basis of the audited financial statement of the preceding financial year;

(c) explanatory statement to be annexed to the notice of a general meeting of shareholders shall contain the following particulars, namely:—

(i) name of the related party;

(ii) name of the director or key managerial personnel who is related, if any;

(iii) nature of relationship;

(iv) nature, material terms, monetary value and particulars of the contract or arrangements;

(v) any other information relevant or important for the members to take a decision on the proposed resolution.

9. Salary and allowances.—(1) The Nomination and Remuneration Committee shall recommend to the Board, in respect of the Managing Director, Deputy Managing Directors, officers and other employees of the Institution, the salary and allowances, having regard to the following, namely:—

(a) the level and composition of remuneration is reasonable and sufficient to attract, retain and motivate individuals of the quality required to run the Institution successfully;

(b) relationship of remuneration to performance is clear and meets appropriate performance benchmark;

(c) remuneration involves a balance between fixed and incentive pay reflecting short and long-term performance objectives appropriate to the working of the Institution and its goals;

(d) professional qualifications and experience of the individual concerned;

(e) the remuneration or commission drawn by the individual concerned in any other capacity or from any other company;

(f) the financial position of the Institution, including its financial and operating performance during the three preceding financial years.

(2) While recommending the salary and allowances as specified in sub-regulation (1), the Nomination and Remuneration Committee shall ensure that the total managerial remuneration payable by the Institution to its directors in respect of a financial year does not exceed the higher of the aggregate of the limits applicable for managerial and other directors under item (A) of Section II of Part II of Schedule V of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and the limit applicable under Section I of the said Part.

Explanation.—For the purposes of this regulation, any reference to a company in Section I or Section II shall be construed as a reference to the Institution.

(3) The Board may, after considering the recommendations made under sub-regulation (1), determine the salary and allowances in respect of the Managing Director, Deputy Managing Directors, officers and other employees of the Institution, while ensuring that the total managerial remuneration payable by the Institution to its directors in respect of a financial year does not exceed the limits referred to in sub-regulation (2).

10. Deputation.—(1) Any officer or other employee may be taken on deputation by the Institution for a period not exceeding five years from an institution including an infrastructure finance or development institution.

(2) The terms and conditions of service of any officer or other employee taken on deputation shall include the following, namely:—

(a) the terms and conditions of service during the period of deputation shall be such as may be determined by the Nomination and Remuneration Committee;

(b) if the officer or other employee taken on deputation is from an institution in which the Central Government holds not less than fifty-one per cent. of the paid-up equity share capital, the terms and conditions of his service during the period of deputation shall not be less favourable than those of his service in such institution.

11. Mechanism for determining penalties.—(1) The Nomination and Remuneration Committee shall be the authority to determine penalties under sub-section (1) of section 39.

(2) The Nomination and Remuneration Committee may by order, after giving a reasonable opportunity of being heard to the director or the employee against whom a complaint is made in writing by a person authorised by the Institution for violating the provisions of section 16 or section 19, as the case may be, impose penalty on such director or employee who has violated such provisions.

(3) For the purposes of determining penalties, the Nomination and Remuneration Committee may—

(a) require the attendance of and examine—

(i) the director or employee against whom the complaint for the violation has been made;

(ii) any other director, officer or employee of the Institution;

(iii) any other person under the control of the Institution;

(b) require the production of any document or other electronic record held by or under the control of the Institution;

(c) allow any other person to give evidence, if it considers it relevant;

(d) require the production of any other document or record, if it considers it relevant.

(4) A director or employee aggrieved by any order made by the Nomination and Remuneration Committee under sub-regulation (2), may prefer an appeal to the Board within thirty days from the date of receipt of such order, and the Board shall, after giving him a reasonable opportunity of being heard, pass such order as it may deem fit, either confirming, modifying or setting aside the order appealed against, or by order remand the case to the Nomination and Remuneration Committee for disposal.

(5) Where the director against whom the complaint has been made is a member of the Nomination and Remuneration Committee or the Board, as the case may be, he shall not participate in any meeting thereof in which the complaint is being deliberated upon:

Provided that, if on account of such director not participating in the meeting, the requirement of quorum or of the independent directors constituting the requisite minimum membership or majority of the Nomination and Remuneration Committee cannot be met, the Board may nominate another director in this place.

P. KISHORE KUMAR, Officer on Special Duty

[ADVT.-III/4/Exty./672/2021-22]

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2022.03.04 16:18:04 +05'30'